बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या–3/कृ० बजट–आवंटन–15/2015 243 आवंटन कृ०, पटना दिनांक– 21/3/ 2016

प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– **डा० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के फर्नीचर/साज–सज्जा हेतु 433.00 लाख रूपये (चार करोड़ तैंतीस लाख रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जाति के लिए वर्ष 2015–16 में तत्काल 69.28 लाख रूपये (उनहत्तर लाख अठाईस हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप 69,28,000 रू (उनहत्तर लाख अठाईस हजार रूपये) की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्याः–1224 दिनांक–03.03.2016 द्वारा डा० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के फर्नीचर/साज–सज्जा हेतु 433.00 लाख रूपये (चार करोड़ तैंतीस लाख रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जाति के लिए वर्ष 2015–16 में तत्काल 69.28 लाख रूपये (उनहत्तर लाख अठाईस हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु कुल 69,28,000 रू० (उनहत्तर लाख अठाईस हजार रूपये) की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त 69,28,000 रू० (उनहत्तर लाख अठाईस हजार रूपये) की राशि का व्यय बजट शीर्ष 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा–उपमुख्यशीर्ष–01–फसल कृषि कर्म–लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग संख्या– 01– उपशीर्ष--0103–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड–P2415017890103 के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में विषयशीर्ष–31 05–सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण मद में उपबंधित राशि 18,83,84,000 रू० (अठारह करोड़ तेरासी लाख चौरासी हजार रूपये) मात्र से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांकः–2561 वि० (2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

(प्रभु राम) 21/3/16
निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 248 आवंटन /कृ०, पटना, दिनांक– 21/3/2016

प्रतिलिपि:– महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 248 आवंटन /कृ०, पटना, दिनांक– 21/3/2016

प्रतिलिपि:– कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम० (कृषि विभाग)/निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/वित्त विभाग, (बजट –शाखा) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य) शिक्षा–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा–04,समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन–सह–अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।